अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 164.—केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय टंकक (उर्दू) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, टंकक (उर्दू) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, टंकक (उर्दू) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में, स्तंभ 11 के अधीन ''समूह 'घ' कर्मचारियों'' शब्दों और अक्षर के स्थान पर ''समूह 'ग' कर्मचारियों'' शब्दों और अक्षर को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12017/1/2015-स्था.]

के. डी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 9, तारीख 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।